संख्याः 3525/सात/2004/17–उद्योग/04

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विधागाध्यक्ष,
कार्यालयाध्यक्ष व जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास अनुभाग

देहरादून. दिनांकः 10 जनवरी, 2005

विषयः **उत्तरांचल सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के उद्योग अनुभाग के शासनादेश संख्याः 2293 एल/18–7–93–25/जी–11/93, दिनांकः 27 अगस्त, 1993 के क्रम में उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 1706/सात/17–उद्योग/04, दिनांकः 02 नवम्बर, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांकः 02 नवम्बर, 2004 को निरस्त करते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिन्हें कि ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी की सुविधा जो पूर्व से अनुमन्य है, में समान सुविधा समान आवर्तिता पर इस शर्त के साथ अनुमन्य कराई जाये कि अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों पर अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

राजकीय वाहन चालक

क्रमांक	विवरण	दर (रूपये में)	सिलाई दर (रूपये में)
1.	कोट पैंट	212.00 प्रति मी0	675.00 प्रति
2.	कमीज आसमानी	37.75 प्रति मी0	48.00 प्रति
3.	जूता	602.00 प्रति जोड़ा	–
4.	छाता	78.00 प्रति	–
5.	सफारी	158.00 प्रति मी0	170.00 प्रति
6.	कम्बल	गांधी आश्रम की दरों पर 530.00 प्रति नग	–

चतुर्थ श्रेणी

क्रमांक	मद	दर (रूपये में)	सिलाई दर (रूपये में)
1.	कोट पैंट	194.00 प्रति मी0	675.00 प्रति
2.	कमीज आसमानी	34.00 प्रति मी0	48.00 प्रति
3.	पैंट काली	135.00 प्रति मी0	95.00 प्रति
4.	जूता	539.95 प्रति जोड़ा	–
5.	मौजा (पु0/म0)	27.00 प्रति जोड़ा	–
6.	लौंग कोट महिला	194.00 प्रति मी0	490.00 प्रति
7.	साड़ी	195.00 प्रति नग	–
8.	पेटीकोट	24.00 प्रति मी0	10.00 प्रति
9.	ब्लाउज	35.00 प्रति मी0	23.00 प्रति
10.	लैदर बैग (महिला)	गांधी आश्रम की दरों पर गांधी आश्रम से	–
11.	सैन्डल (महिला)	499.00 प्रति एक जोड़ा	–
12.	छाता	78.00 प्रति नग	–
13.	कम्बल	गांधी आश्रम की दरों पर 530.00 प्रति नग	–

2– ग्रीष्मकालीन वर्दी के लिये उत्तरांचल सचिवालय से इतर राजकीय वाहन चालाकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टेरीकाट की प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दो पैंट तथा दो बुशर्ट की सुविधा अनुमन्य होगी अथवा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार हथकरघा के पौली खादी कपड़े से निर्मित दो पैंट व दो बुशर्ट भी विकल्प स्वरूप ले सकते हैं। इसी प्रकार शीतकालीन वर्दी के लिये उत्तरांचल सचिवालय से इतर राजकीय वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार अनुमन्य होगी।

3– गुणवत्तायुक्त अच्छी सामग्री क्रय करने हेतु स्थानीय स्तर पर फर्म का निर्धारण विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। संबंधित विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि वर्दी अनुमन्य कराने के बाद इस सुविधा को बहाल करने वाला कर्मचारी प्रत्येक कार्य दिवस को निर्धारित वर्दी में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगें और यदि कोई कर्मी निर्धारित वर्दी में, वर्दी स्वीकृत होने के बाद भी नहीं आता है तो पूर्व में निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार उसे वर्दी नहीं दी जायेगी। वर्दी देने के बाद संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/जिस अधिकारी के साथ उक्त कर्मी तैनात है का ही यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वर्दी देने के बाद प्रत्येक कर्मी वर्दी में ही कार्यालय आये।

4– उक्त श्रेणी के कर्मियों को वर्दी की अन्य अनुमन्तायें पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य में निर्गत शासनादेशों के अनुसार ही रहेगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः 2263 दिनांकः 04.01.2005 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः /सात/2004/17–उद्योग/04

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।